

महाविद्यालयों के लिए निर्देश
बी.एड./डी.एड. ऑनलाइन प्रक्रिया 2014 के संबंध में

- I. एस.सी.ई.आर.टी. की वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में जाकर MKCL की वेबसाइट के लिंक को क्लिक कर अथवा सीधे MKCL के वेबसाइट बी.एड. के लिए <http://oasis.mkcl.org/cgbed2014> तथा डी.एड. के लिए <http://oasis.mkcl.org/cgded2014> को खोलकर college login में अपने महाविद्यालय का कालेज कोड व पासवर्ड submit कर आपके महाविद्यालय में आबंटित छात्रों की सूची देख सकते हैं।
- II. सूची में सभी आबंटित छात्रों के नाम के सामने By default "Admitted" अंकित होगा।
- III. आबंटित छात्र जब आपके महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पहुँचें तो सबसे पहले आबंटन पत्र के आधार पर जाँच करें कि उक्त छात्र को आपके महाविद्यालय के लिए ही आबंटित किया गया है अथवा नहीं। इसके पश्चात् ही आगे की कार्यवाही करें।
- IV. यदि छात्र को आपके महाविद्यालय के लिए आबंटित किया गया है तो आबंटित वर्ग के अनुसार छात्र के मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर जांच करें कि छात्र के प्रमाण-पत्र प्रमाणिक एवं सही हैं तथा बी.एड./डी.एड. पाठ्यक्रम के लिए पात्रता बनती है अथवा नहीं।
- V. यदि पात्रता बनती है तो छात्र से निर्धारित शुल्क लेकर ऑनलाइन (MKCL की साइट में आपके login पर) प्रवेश दें तथा सिस्टम से जनरेट की हुई पावती छात्र को दें तथा एक प्रति अपने पास रखें।
- VI. यदि किसी में प्रमाण-पत्र दस्तावेज संबंधी समस्या आती है तो SCERT रायपुर में गठित हाईपावर समिति से दूरभाष पर अथवा सीधे सम्पर्क करें। यदि तकनीकी समस्या आती है तो MKCL के श्री सारंग जोशी अथवा SCERT के श्री संतोष तम्बोली से दूरभाष पर सीधे सम्पर्क करें।
- VII. यदि किसी छात्र के दस्तावेज में कोई कमी है तो उसे उपयुक्त दस्तावेज के अभाव में अपात्र घोषित करें और उस छात्र के नाम के सामने ऑनलाइन disqualify का विकल्प क्लिक करें।
- VIII. यदि छात्र आपके महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहते हो तो उसके आबंटन को निरस्त करें तथा उस छात्र के नाम के सामने cancel का विकल्प क्लिक करें।
- IX. यदि कोई छात्र आपके महाविद्यालय में अपना आबंटन cancel कराने आता है तो उस छात्र को cancellation आवेदन की पावती अनिवार्य रूप से दें।
- X. उपरोक्त कार्य को प्रवेश के दौरान नियमित रूप से प्रत्येक दिवस करें और यदि कोई कठिनाई आ रही हो तो MKCL अथवा SCERT से सम्पर्क करें अर्थात् Updation प्रतिदिवस करना है।
- XI. यदि कोई आबंटित छात्र आपके महाविद्यालय में समयावधि में रिपोर्ट नहीं करता है तो उसके नाम के सामने Not Reported के विकल्प को क्लिक करें (अन्तिम प्रवेश तिथि की शाम को)।
- XII. आपके महाविद्यालय में आबंटित छात्रों के अस्थाई आबंटन पत्र आपके login Id में उपलब्ध रहेंगे इसकी प्रिन्ट आउट एवं ऑनलाइन प्रवेश देते समय छात्र के ऑनलाइन पावती की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।
- XIII. याद रखें आपके महाविद्यालय में आबंटित छात्रों की सूची में By default सभी छात्रों के नाम के सामने Admitted अंकित है। यदि उपरोक्तानुसार कार्यवाही आपके द्वारा नहीं की जाती है तो Updation नहीं होने के कारण अगले चरण में आपके महाविद्यालय में यदि सीट रिक्त है तो भी कोई सीट्स आबंटित नहीं की सकेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- XIV. छात्रों के प्रमाण-पत्रों को सत्यापन हेतु निर्देश -
 1. अस्थाई आबंटन पत्र जिसमें आपके महाविद्यालय का कोड व महाविद्यालय का नाम तथा प्रवेश लेने की अंतिम तिथि की जाँच कर लें।
 2. जन्म प्रमाण-पत्र के लिए 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो या इस हेतु किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जा सकेगा। डी.एड. हेतु 12वीं की अंकसूची। डी.एड. पाठ्यक्रम की पात्रता हेतु

10+2 परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक आवश्यक है। केवल छ.ग. राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग (केवल दृष्टिबाधित) वर्ग को इसमें 5 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।

3. बी.एड. हेतु स्नातक (कोई भी विषय में) के तीनों वर्षों की अंकसूची। बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक आवश्यक है। इस प्राप्तांक में केवल छ.ग. राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/संवर्ग के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।
4. स्नातक (आनर्स) वाले प्रकरण में एकीकृत (एग्रीग्रेड) प्राप्तांक के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता प्रदान की जाती है। इसलिए स्नातक (आनर्स) वाले प्रकरण में एकीकृत प्राप्तांक (सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग) 50 प्रतिशत होना आवश्यक है।
5. यदि छात्र के स्नातक में प्राप्तांक कम है और यदि वह स्नातकोत्तर है तो स्नातकोत्तर के प्राप्तांक के आधार पर पात्रता बनती है अथवा नहीं जांच कर लें।
6. विश्वविद्यालय की मान्यता हेतु UGC की वेबसाइट का अवलोकन कर लें।
7. यदि छात्र 5 प्रतिशत छूट का लाभ ले रहा है अथवा आरक्षित वर्ग में उसका चयन हुआ है तो ही जाति प्रमाण-पत्र की जांच करें।
8. छ.ग. के मूल निवास प्रमाण-पत्र की जांच करें।
9. यदि महिलाएं विवाहित हैं तो विवाह संबंधी प्रमाण-पत्र अथवा रुपये 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथपत्र प्राप्त करें।
10. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र व आचरण प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश न दें।
11. यदि विश्वविद्यालय/बोर्ड परिवर्तन हुआ है तो Migration Certificate आवश्यक है। इस हेतु आप अभ्यर्थी को समय दे सकते हैं।
12. डी.एड. में डाइट/बी.टी.आई. में अभ्यर्थी के जिले का निवासी संबंधी दस्तावेज की जांच अवश्य करें। किसी विवाद की स्थिति में एस.सी.ई.आर.टी. हाईपावर समिति से सम्पर्क कर सकते हैं।
13. शासकीय व अनुदान प्राप्त संस्थाओं में संवर्ग अर्थात् भूतपूर्व सैनिक/FF/विकलांग संवर्ग के कोटे में यदि अभ्यर्थी का चयन हुआ है तो उनके प्रमाण-पत्रों की जांच करें। FF संवर्ग के लिए FF के पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री/नाती/नतनीन होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।



(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

डी.एड. कालेजों हेतु निर्देश

1. समस्त डी.एड. महाविद्यालय जिन्होंने All India Survey on Higher Education (AISHE) में अपना Registration नहीं कराया है वे <http://aishe.gov.in> वेबसाईट को विजिट करें।
2. New User पर क्लिक करें। Role --- Teacher Training (Diploma) Institute को सलेक्ट करें, State – Chhattisgarh को सलेक्ट करें, अपने College/Institute का नाम सलेक्ट करें।
3. अपने सुविधानुसार UserID व Password का स्वयं चयन करें एवं अन्य विवरण दर्ज कर फार्म को Submit कर दें।
4. उपरोक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक 15/07/2014 तक किया जाना अनिवार्य है। All India Survey on Higher Education (AISHE) के रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह की समस्या हो तो एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा दिये गये कालेज कोड के साथ sktamboli@gmail.com संपर्क करें।
5. समस्त डी.एड. महाविद्यालयों को एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाईट <http://attendance.scertcg.com> पर अपने महाविद्यालय से संबंधित जानकारियों को अपडेट करना है एवं अपने faculty के विवरण की एंट्री 15/07/2014 तक अनिवार्य रूप से करना है ।

बी.एड. कालेजों हेतु निर्देश

1. समस्त बी.एड. महाविद्यालय जिन्होंने All India Survey on Higher Education (AISHE) में अपना Registration नहीं कराया है वे <http://aishe.gov.in> वेबसाईट को विजिट करें।
2. New User पर क्लिक करें। Role --- College को सलेक्ट करें, State – Chhattisgarh को सलेक्ट करें, अपने विश्वविद्यालय का नाम सलेक्ट करें, अपने जिले का नाम सलेक्ट करें अपने College/Institute का नाम सलेक्ट करें।
यदि आपके महाविद्यालय का नाम लिस्ट में नहीं आ रहा हो तो अपने विश्वविद्यालय के AISHE (All India Survey on Higher Education) कक्ष से संपर्क करें।

3. अपने सुविधानुसार UserID व Password का स्वयं चयन करें एवं अन्य विवरण दर्ज कर फार्म को Submit कर दें।
4. उपरोक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक 15/07/2014 तक किया जाना अनिवार्य है। All India Survey on Higher Education (AISHE) के रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह की समस्या हो तो अपने विश्वविद्यालय के AISHE (All India Survey on Higher Education) कक्ष से संपर्क करें। सामान्य जानकारी हेतु एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा दिये गये कालेज कोड के साथ sktamboli@gmail.com संपर्क कर सकते हैं।
5. समस्त बी.एड. महाविद्यालय दिनांक 15/07/2014 तक AISHE (All India Survey on Higher Education) के वेबसाइट में अपलोड की गई 2012-13 (As on 30th September 2012) की pdf file “sktamboli@gmail.com” पर अनिवार्यतः उपलब्ध करावें।
6. समस्त बी.एड. महाविद्यालयों को एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://attendance.scertcg.com> पर अपने महाविद्यालय से संबंधित जानकारियों को अपडेट करना है एवं अपने faculty के विवरण की एंट्री 15/07/2014 तक अनिवार्य रूप से करना है ।
